मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक–23 सन् 1956) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक–37 सन् 1961) में कतिपय संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषतायें निम्नानुसार है :–

1. शहरी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिये ''ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस'' के अन्तर्गत प्रक्रियाओं को सरलीकरण किया जाना आवश्यक है। राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा जारी करने के लिये पंजीकृत वास्तुविद तथा संरचना इंजीनियर को अधिकृत किया गया है। भवन निर्माण उपरान्त निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा अधिवासित करने या उपयोग में लाने की अनुज्ञा वर्तमान में नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी की जाती है।

2. ''ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस'' के अन्तर्गत इस अनुज्ञा को पंजीकृत वास्तुविद तथा संरचना इंजीनियर द्वारा जारी किये जाने हेतु उन्हे अधिकृत किये जाने के लिये मध्यप्रदेश, नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 301 तथा मध्यप्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 191 में संशोधन किया जाना आवश्यक है। संशोधन उपरान्त ''ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस'' के अन्तर्गत वैधानिक रूप से प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 विधेयक प्रस्तावित किया गया है।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ..... सन् 2016

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 है.

भाग–एक

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1956 का संशोधन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) का संशोधन.

2. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) में, –

धारा 301 का संशोधन

(1) धारा 301 में, उपधारा (4) के पश्चात, निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाये, अर्थात :–

''(5) ऐसे प्रकरणों में, जहां धारा 294 (5) के प्रावधानों के अन्तर्गत भवन अनुज्ञा, पंजीकृत एवं अधिकृत वास्तुविद अथवा संरचना इंजीनियर द्वारा प्रदाय की गयी है, में निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा अधिभोग की अनुज्ञा को भवन अनुज्ञा के वैधानिक प्रावधानों एवं शर्तो की पूर्ति को सुनिश्चित करते हुये जारी करने के लिये उक्त वास्तुविद अथवा संरचना इंजीनियर सक्षम होंगे। इस उपधारा के अन्तर्गत जारी निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा अधिभोग की अनुज्ञा को आयुक्त के कार्यालय में सात दिवस के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा।''

भाग–दो

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 37 सन् 1961 का संशोधन

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) का संशोधन.

3. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक–37 सन् 1961) में,–

धारा 191 का संशोधन

(1) धारा 191 में, उपधारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाये, अर्थात :–

''(3) ऐसे प्रकरणों में, जहां धारा 187 (3क) के प्रावधानों के अन्तर्गत भवन अनुज्ञा, पंजीकृत एवं अधिकृत वास्तुविद अथवा संरचना इंजीनियर द्वारा प्रदाय की गयी है, में निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा अधिभोग की अनुज्ञा को भवन अनुज्ञा के वैधानिक प्रावधानों एवं शर्तो की पूर्ति को सुनिश्चित करते हुये जारी करने के लिये उक्त वास्तुविद अथवा संरचना इंजीनियर सक्षम होंगे। इस उपधारा के अन्तर्गत जारी निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा अधिभोग की अनुज्ञा को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय में सात दिवस के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा।''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपसचिव

Government of Madhya Pradesh
Urban Development and Environment Department

Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016

Statement of Objects and Reasons

In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) certain amendments are proposed to be made. Salient features of the proposed amendments are as under:-

1. In order to increase investment in Urban Areas, there is a necessity of simplification in the processes under "Ease of Doing Business" State Government has authorized the registered architect and structural engineers to issue building permission. Presently the completion certificate and permission to occupy or use is issued by the Chief Executive Officer of Urban Local Bodies after the construction of the building.

2. An amendment is required in section 301 of Madhya Pradesh, Nagar Palik Nigam Adhiniyam 1956 and section 191 of Madhya Pradesh Nagar Palika Adhiniyam 1961to authorize registered architect and structural engineers to issue this permission under "Ease of Doing Business". The process will be legally simplify under "Ease of Doing Business" after the amendment. The Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 has been proposed to fulfill the above purpose.

Madhya Pradesh Bill

MADHYA PRADESH BILL

No……Year 2016

Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Vidheyak, 2016

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016

Part-I

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (NO.23 OF 1956)

Amendment of Section 301

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);

(1) In section 301, after the sub-section (4) the following new sub section shall be inserted, namely:-

"(5) In respect of cases, where building permission has been granted as per the provisions of section 294 (5), by the registered and authorized architect or structural engineer, such architect or structural engineer shall be empowered to issue completion certificate and permission to occupy for such building after ensuring the compliance of statutory provisions and conditions of building permission. The copy of completion certificate and permission to occupy issued under this sub section shall be provided to the Commissioner at his office within seven days."

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961

Part-II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

Amendment of Section 191

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(1) In the section 191, after the sub-section (2) the following new sub section shall be inserted, namely :-

"(3) In respect of cases, where building permission has been granted as per the provisions of section 187 (3A), by the registered and authorized architect or

structural engineer, such architect or structural engineer shall be empowered to issue completion certificates and permission to occupy for such building after ensuring the compliance of statutory provisions and conditions of building permission. The copy of completion certificates and permission to occupy issued under this sub section shall be provided to the Chief Municipal Officer at his office within seven days."

By Order and in the name of the Governor of M.P.
Dy. Secy